



श्री १०८

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-848/MP/20/2023-SSW


दिनांक: 04/04/2023

Prof. Neelima Gupta
Vice Chancellor,
Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya,
सागर-470003 (मध्य प्रदेश)
(Email Id: vc@dhsghsu.edu.in)
(Tel. No: 0758264796)

विषय: डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा एसटी वर्ग के कर्मचारी श्री शिव शंकर मीना को अतिथि शिक्षण का कार्य एव PHD कोर्स एक साथ करने की अनुमति देने के संबंध में - श्री शिव शंकर मरकाम (अतिथि शिक्षक, वनस्पति विज्ञान विभाग) डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को Shivshankar Markam से दिनांक 03/04/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. Shivshankar Markam
अतिथि शिक्षक, वनस्पति विज्ञान विभाग
डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (मध्य प्रदेश)
(मो. न. - 9617408581)

2. NIC, NCST (please upload on the website)